कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./26/सी/2379 धमतरी,दिनांक: 18 /11/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त रायपुर

छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Private Ltd, Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Dhamtari Forest Division under Chhattisgarh SancharKaranti Yojana (SKY), area - 3.786 ha. regarding.**
आनलाईन पंजीयन क्र. FP/CG/OFC/45153/2020 Date 27.05.2020

सदर्भः– 1. आपका पत्र क्रमांक/तक.शा./विविध/11225 दिनांक 21.10.2022

2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./26/सी/1843 दिनांक 16.09.2022

⊗ ⊗ ⊗

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से आवेदक संस्थान "ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर" द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत धमतरी–अंजोरा, अंजोरा–नगरी, दोमपदर–मानपुर, काडादाह–माडमसिल्ली, गोबरानवापारा–पाण्डुका एवं सलना–करीपानी मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 165.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु रकबा 3.786 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम,1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव 21 बिंदुओं के चेक लिस्ट अनुसार तैयार कर आपकी ओर प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव में आपके संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से 1 बिन्दु की आपत्ति ली गई है। उक्त आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार है–

क्र.	ली गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1.	प्रस्ताव के कंडिका 7 में संलग्न प्रपत्र 04 के बिन्दु क्रमांक 4 के (VIII) क्षेत्र में पाये जाने वाली जाने वाली दुर्लभ/संकटग्रस्त वनस्पतियों व प्राणीयों की प्रजातियॉं में नहीं लिखा गया है, जबकि कंडिका 11 वनाधिकारियों के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भाग–2 की बिन्दु XI क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पायी जाती है, यदि हॉ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दे में वनस्पतियों एवं प्राणीयों का विवरण दिया गया है। इसे स्पष्ट करें?	प्रस्ताव के कंडिका 7 में संलग्न प्रपत्र 04 आवेदक संस्थान के द्वारा भरा जाता है। आवेदक संस्थान को वनक्षेत्र में पाये जाने वाले वनस्पतियों एवं प्राणीयों की जानकारी नहीं होती। उनके द्वारा प्रस्ताव तैयार करते समय उक्त बिन्दु की पूर्ति हेतु वन विभाग से संपर्क नहीं किया गया है। जबकि वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भाग–2 वनमंडलाधिकारी द्वारा आवेदित क्षेत्र के स्थल निरीक्षण उपरांत भरा जाता है। भाग–2 की बिन्दु XI में भरी गई वनस्पति और प्राणीजात की जानकारी आवेदित क्षेत्र के आस पास के वनक्षेत्रों में पाये जाने वाले वनस्पति और प्राणी के अनुसार भरा गया है। अतः वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भाग–2 की बिन्दु XI में भरी गई जानकारी को मान्य किया जावे।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्रथम चरण स्वीकृति की कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./26/जी/5674 धमतरी,दिनांक:18/11/2022

प्रतिलिपि :– 1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (भू–प्रबंध/नोडल व.स.अ.) अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. **महाप्रबंधक** (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

Scanned with CamScanner